भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2679

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

मध्यस्थता के मामले

2679. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए विवादों की संख्या का रिकॉर्ड रखती है;

(ख) यदि हां, तो 2015 से वर्ष-वार मध्यस्थता के कितने मामले दायर किये गए तथा निपटाए गए ;

(ग) 2015 से प्रतिवर्ष मध्यस्थता के प्रत्येक विवाद के निपटान में औसत कितना समय लगा ;

(घ) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र में दायर तथा निपटाए गए विवादों की कुल संख्या कितनी हैं ; और

(ङ) भारतीय मध्यस्थता परिषद के गठन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : मध्यस्थता के माध्यम से समाधान किए गए विवादों की संख्या का कोई अभिलेख वर्तमान में सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(घ) : नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एनडीआईएसी) का गठन किया जा रहा है ।

(ङ) : भारतीय मध्यस्थता परिसर की स्थापना करने के लिए, विधि कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित अपेक्षित कदम उठाए गए हैं :

(i) भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य सचिवालयीय अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों को विरचित कर लिया गया है और ये अंतिम होने के अग्रिम प्रक्रम में हैं।

(ii) वाणिज्य विभाग से भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) के किसी अंशकालिक सदस्य के रुप में वाणिज्य और उद्योग के मान्यता प्राप्त निकाय के किसी प्रतिनिधि का नामाकंन प्राप्त हुआ है।

(iii) भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) के लिए वित्त वर्ष 2021-22 हेतु बजट आबंटित कर दिया गया है।

(iv) अध्यक्ष, सदस्य और सीईओ से भिन्न अन्य पदों का सर्जन कर लिया गया है और इस संबंध में विधि कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है ।

****